न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 154 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/158)
पंजीयन दिनांक– 10.03.2021
निर्णय दिनांक– 24.08.2021

1. श्री मिठूलाल पिता उदा अहीर, निवासी रोड़जी का खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के प्रकरण
संख्या 01 / 2018 निर्णय दिनांक 14.05.2018

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के प्रकरण संख्या 01 / 2018 निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 13.07.2018 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध मौजा रोड़जी का खेड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 240/122 रकबा 0.59 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अराजीयात अपीलांट की आवंटन शुदा होकर अपीलांट के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, परन्तु वक्त आवंटन उक्त आराजीयात का नक्शा जो तरमीम किया गया वह कब्जे अनुसार नही किया गया है जिससे उक्त नम्बर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजीयात से अलग दिखा रखा है, जिसे नवीन नक्शे में तरमीम की जाकर कब्जे अनुसार अपीलांट की आराजीयात को तरमीम की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 14.05.2018 से राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय ईडरा में अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.05.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय ईडरा पर पेश हुई। प्रार्थी मिठूलाल स्वयं उपस्थित प्रकरण में तहसीलदार, डूंगला की प्रतिवादी की हैसियत से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, डूंगला ने प्रकरण की बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 122 में से आवंटित 3 बीघा आराजी नम्बर 240/122 के संबंध में अवगत कराया कि आवंटन के वक्त नक्शे में उक्त आराजी की नक्शे में तरमीम की गई जो सही है। नक्शे की तरमीम नामांतरण फर्द पर चस्पा नक्शा ट्रेस के अनुसार की गई जो सही है। प्रार्थी द्वारा तरमीम में शुद्धि के लिए लाये गये प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार, डूंगला एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत है। अपील में वर्णित उक्त आराजीयात अपीलांट की आवंटन शुदा है जो वर्तमान में अपीलांट के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर अपीलांट के कब्जे काश्त की है। अपीलांट ने उक्त आराजीयात पर कुंआ भी खोद रखा है, जिससे अपीलांट अपने खातेदारी की आराजीयात को सिंचित करता चला आ रहा है। अपीलांट प्रार्थी ने नक्शे में तरमीम बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेंट ने अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिर भी बिना किसी राजीनामे के अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय R. L. W. 2008 (2) Page 975, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 नियमानुसार होकर उचित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपना आवेदन दिनांक 01.01.2018 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 02.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज हुआ। अपीलाण्ट द्वारा अपना आवेदन तहसीलदार के विरूद्ध अपील भूमि की नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के बाद विभिन्न पेशियों पर प्रकरण में तहसीलदार के जबाब के लिए दिनांक 02.06.2018 से 26.04.2018 तक लम्बित रहा। दिनांक 14.05.2018 को प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया एवं लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.05.2018 को ही तहसीलदार का जबाब लिया एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त की एवं उक्त जांच रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया कि उक्त तरमीम नामान्तकरण संख्या 106 पर चस्पा ट्रेस अनुसार ही की गयी है जो सही है। तहसीलदार द्वारा भी इसी दिनांक को अपना जबाब दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाण्ट के अभिकथनों का कोई विवेचन नहीं किया, न ही उसे उक्त जबाब के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। लोक अदालत में स्पष्टतः राजीनामे के प्रकरणों को ही निस्तारित किये जाने चाहिये जैसाकि अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर 2008(2) आर.एल. डब्ल्यू. पेज 975 में वर्णित है। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सहमति न हो तो अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत् सुनवाई करके ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत केम्प में अपीलाण्ट उपस्थित था। तहसीलदार से लोक अदालत में ही जबाब प्राप्त किया गया एवं अपना निर्णय करते हुए अपीलाण्ट का आवेदन खारिज कर दिया। नामान्तरण पर चस्पा नकल भी पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में बिना सहमति के प्रकरण का निर्णय विधिनुसार सुनवाई करके किये जाने के न्यायिक

सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिविरूद्ध है एवं तद्नुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर, उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर बाद जांच विधिपूर्वक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर